



श्रम अधीक्षक पर लगा

500 रुपये का जुर्माना

रांची। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने तकालीन सहायक नियुक्ती पदाधिकारी सह श्रम अधीक्षक पुनित मिंग पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। उनके उपर राज्य निवाचन आयोग ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी। यह बात सामने आयी थी कि इस वर्ष मई महीने में आयोजित क्रिस्तीरीय पंचांग तुनाव 2022 के द्वारा न केरसई प्रबंद्ध के मद्देन केंद्र सख्त 55 में तुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उड़ने लापरवाही बरती, जिसके कारण दोबारा तुनाव कराना पड़ा। पूरे मामले को आयोग ने गोपनीय से लिया था और कार्रवाई के लिए विभाग से अनुशंसा की थी।

100 करोड़ गवन के आरोपी राजू डिली रिमांड पर

रांची। ईडी ने मिड-डे-मिल के 100 करोड़ के गवन के आरोपित राजू कुमार दर्मा को पांच दिनों के रिमांड पर लिया है। उसे तीन से सात दिनों तक रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि शिवार र से शुरू होती है। ईडी ने राजू कुमार दर्मा को गुरुवार को गिरफतार कर पीएमएल के विशेष न्यायीकी की अदालत में पेश किया था और उसी समय रिमांड के लिए आवेदन दिया था। शुक्रवार को अदालत ने आदेश आदेश के रिमांड पर लिया है।

लोहा चोरी के दोरान गिरी छत, तीन दबे पिरिडीह। सीसीएल मिरिडीह क्रोलियरी के बढ़ पटे कोक प्लॉट में हादसा हो गया। यहां लोहा चोरी के दिमियान कोक प्लॉट के एक हिस्से का छत गिर गया था। इस घटना में तीन लोहा चोक दब गये। बाद में चोरों के साथीयों ने किसी तरह मलबे को हटाया और तीनों को लेकर भाग गये। कहा जा रहा है कि घायलों में से एक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रबन्धन व पुलिस जाच में जुटी हुई है। शुक्रवार की देर शम को लगभग एक दर्जन की संख्या में लोहा चोक प्लॉट में लेकर बढ़ पटे कोक प्लॉट में घुसे और एक स्थान पर लोहा काटने लगे। ईडी दोरान यह हादसा हो गया।

दुमका जेल के संतरी पर चलायी गोली

दुमका। सेंट्रल जेल के मुख्य गेट पर तैनात संतरी पर शुक्रवार को बाह्यक खार तीन बदलाशों ने गोली चलायी। हालांकि, इस गोलीबारी में संतरी बाल-बाल बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मोके से दो दो खोका बरामद किया। सूचना पर घटनास्थल पर एसटीओ नूर सुस्ताना और जाच शुरू की। जांच में सेंट्रल जेल के गेट पर लगी सीसीटीवी खराब

पाया गया।

ईडी ने जेल में हांसादा से घंटों पूछताल की

रांची। अवैध खनन मामले की जांच कर रही ईडी की तीन सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को साहिबांज मंडल कारगार में बंद विजय सहादा से उसके दावे और साहिबांज पुलिस पर लगाये गए आरोप के सर्वधृष्टि में करीब तीन घंटे तक पूछताल की ओर कई अन्य जानकारी ली ईडी की तीन सदस्यीय टीम असिस्टेंट डायरेक्टर देववत्त झां के नेतृत्व में बिहार के कहलागांव रित्यत एनटीपीसी रेस्ट हाउस से साहिबांज पहुंची थी। ईडी की टीम कोट्टे पूर्व के विजय हांसादा की रिमांड पेपर के साथ सुबह लगभग 11:50 बजे साहिबांज मंडल कारगार पहुंची और पूछताल की कार्रवाई की।

बाहना आमंत्रण
सोना (विवरी) : 50,500 रु./10 ग्राम
चांदी : 66,000 रु./प्रति किलो

धरती आबा की ऊर्जावान भूमि से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

खबर मन्त्र

सबकी बात सबके साथ



हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट में सीएस हाजिर

मेधा सूची बनाने का निर्देश

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में द्वारा अधिकारी वाद की सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सीर्प कोर्ट ने राज्य सरकार को अब तक नियुक्त हुए अध्ययनों के अंतर्म कट ऑफ को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। पूर्व कोट्टे की सुनवाई में कोट्टे ने मामले में यथाविधि विवाद के आदेश को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उड़ने लापरवाही बरती, जिसके कारण दोबारा तुनाव कराना पड़ा। पूरे मामले को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उड़ने लापरवाही बरती, जिसके कारण दोबारा तुनाव कराना पड़ा। पूरे मामले को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

कोट्टे ने कहा, अंतिम कट ऑफ को आधार बनायें



याचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। पूर्व कोट्टे की सुनवाई में कोट्टे ने मामले में यथाविधि विवाद के आदेश को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उड़ने लापरवाही बरती, जिसके कारण दोबारा तुनाव कराना पड़ा। पूरे मामले को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

चबिनित अध्ययनों का प्रकाशित कटऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट रिवाइज करना था, जो कि राज्य सरकार और जेएसपीसी के द्वारा इस तरह से प्रकाशित नहीं किया गया। यह सुप्रीम कोट्टे के आदेश की अवहेलना है। सोनी कुमारी की ओर से वरीय अधिवक्ता रजीत कुमार, अधिवक्ता ललित कुमार एवं नियुक्ति ने कोट्टे के आदेश की अवहेलना के आदेश को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उड़ने लापरवाही बरती, जिसके कारण दोबारा तुनाव कराना पड़ा। पूरे मामले को आधार मानकर इस केसे के सभी पिठियां वाचिकार्ता बनें हैं इन दोनों के बीच मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाये और इनकी नियुक्ति करें। सीर्प कोट्टे की सुनवाई 9 दिसंबर नियावारित की है।

पीएम को लिखे पत्र में सीएस ने वन संरक्षण नियम-2022 पर जतायी आपति ग्राम सभा की सहमति के बिना पेड़ काटना घातक : मुख्यमंत्री

खत्म जायेंगे आदिवासियों के अधिकार

पुनर्विवाच करें, यह मासूम आदिवासियों के साथ धोखा



जनजातियां रहती हैं, जो प्रकृति के साथ समरसातापूर्वक जीवन जीती हैं। सीएस ने कहा कि पेड़-वीथों को आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं। ऐसे में उड़नी सहमति के बिना पेड़-वीथों को रहती ही राज्य सरकार के द्वारा एक एक्सिल पोर्ट पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की। बात देखती है कि जारी रखना पर राज्य सरकार के द्वारा एक एक्सिल पोर्ट के लिए वन संरक्षण नियम 2022 में हाईस्कूल नियावारित की है।

जनजातियां रहती हैं, जो प्रकृति के साथ समरसातापूर्वक जीवन जीती हैं। सीएस ने कहा कि पेड़-वीथों को आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं। ऐसे में उड़नी सहमति के बिना पेड़-वीथों को रहती ही राज्य सरकार के द्वारा एक एक्सिल पोर्ट के लिए वन संरक्षण नियम 2022 में हाईस्कूल नियावारित की है।

जनजातियां रहती हैं, जो प्रकृति के साथ समरसातापूर्वक जीवन जीती हैं। सीएस ने कहा कि पेड़-वीथों को आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं। ऐसे में उड़नी सहमति के बिना पेड़-वीथों को रहती ही राज्य सरकार के द्वारा एक एक्सिल पोर्ट के लिए वन संरक्षण नियम 2022 में हाईस्कूल नियावारित की है।

जनजातियां रहती हैं, जो प्रकृति के साथ समरसातापूर्वक जीवन जीती हैं। सीएस ने कहा कि पेड़-वीथों को आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं। ऐसे में उड़नी सहमति के बिना पेड़-वीथों को रहती ही राज्य सरकार के द्वारा एक एक्सिल पोर्ट के लिए वन संरक्षण नियम 2022 में हाई

